

FORM NO.III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

नवराज वनाम इन्डिया

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 21/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/01/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नवराज - विष्णु कुमार शिवरतन</u> पिता श्री <u>मांगीलाल जी लोनी</u> निवासी <u>गुरीपाडा चिमैडाह</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>सुरजपाल (प.ह.राज)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 793, 794, 795, 796</p> <p>कुल कीता 04 कुल रकबा 1.0000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरजपाल (प.ह.राज त.ह. चिमैडाह)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 793, 794, 795, 796</p> <p>कुल कीता 04 रकबा 1.0000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> राजेंद्र कल्लेवटर, (उपखण्ड अधिकारी) चित्तौड़गढ़</p>